रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1278] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 25, 2006/कार्तिक 3, 1928
No. 1278] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2006/KARTIKA 3, 1928

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2006

का.आ. 1817(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार बोर्ड के परामर्श पर और इस बात के लिए तुष्ट हो जाने पर कि पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एतद्द्वारा एक समिति गठन करती है नामशः—

1.	अपर सचिव, पशु कल्याण प्रभारी भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली	अध्यक्ष/सदस्य
2.	संयुक्त सचिव (पशु कल्याण) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष/सदस्य
3.	डा.(श्रीमती) वसंता मुत्थुस्वामी, वरिष्ठ उप महानिदेशक और प्रमुख, बी एम एस प्रभाग, पारम्परिक चिकित्सा शास्त्र और जीवनीतिशास्त्र, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110029	सदस्य
4.	डा. पी बालकृष्ण मूर्ति, निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी और विष-विज्ञान संस्थान(आई आई बी ए टी), 12 हार्लेस रोड, किल्पौक, चैन्नई - 600010	सदस्य

5.	डा. डी स्वरूप, अध्यक्ष, आयुर्विज्ञान प्रभाग, भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर - 243122 (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
6.	डा. के नाचीमुत्थु, अनुसंधान निदेशक, तमिलनाडु पशु-चिकित्सा और प्राणी विज्ञान विश्वविद्यालय, माधवराम मिल्क कालोनी, चैन्नई - 600051	सदस्य
7.	प्रो. अनूप कुमार नायक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, पोस्ट बैग # 18, चन्द्रबानी, देहरादून - 248001, उत्तरांचल	सदस्य
8.	डा. कोडावल्ला वेंकैया, अध्यक्ष और सहायक निदेशक, जीव-सांख्यिकी विभाग, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, जामिया-ओस्मानिया (पी ओ), हैदराबाद - 500007	सदस्य
9.	डा. वी के विनायक, (सेवानिवृत्त वरिष्ठ सलाहकार) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, बी.1, ई-12, मोहन कोओपरेटिव इण्डस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली - 110044	सदस्य
10.	प्रो.ए.जगन्नाथ राव (सेवानिवृत्त) डिपार्टमैंट आफ बायो केमिस्ट्री एण्ड मोलीकूलर रिप्रोडक्शन, डेवलपमैंट एण्ड जेनेटिक्स, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर - 560012	सदस्य
11.	डा. शशी मोतीलाल, प्रोफेसर (दर्शनशास्त्र), दिल्ली विश्वविद्यालय, 7, वैशाली आपर्टमेंट्स, आई आई टी/दिल्ली, हौज़-ख़ास, नई दिल्ली - 110016	सदस्य
12.	डा. टी पी आर भारद्वाज, सीनियर कन्सल्टेंट, रुधिर विज्ञानी, अपोलो अस्पताल, 21, ग्रीम्स लेन, ऑफ ग्रीन्स रोड, चैन्नई - 600006	सदस्य
13.	निदेशक (जीव जन्तु कल्याण) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

2 केन्द्र सरकार एतद्द्वारा जीव जन्तु कल्याण के इन्चार्ज अपर सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं सदस्य को उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा(2) के अनुसार समिति के अध्यक्ष पद के लिए नामित करती है ।

IndiaCode

3. संयुक्त सचिव (जीव जन्तु कल्याण) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और सदस्य इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे ।

4. समिति का कार्यकाल, इससे पहले भंग न होने पर, इसके गठन की तारीख से 4 वर्ष का होगा ।

5. दिनांक 10 जनवरी, 2003 की गजट अधिसूचना एस ओ 32(ई) और उसके बाद दिनांक 26.5.2003 की अधिसूचना संख्या एस ओ 599(ई); दिनांक 21.8.2003 की अधिसूचना सं. एस ओ 955(ई); 15.1.2004 की अधिसूचना सं. एस ओ 69(ई); 25.1.2005 की अधिसूचना सं. एस ओ 85(ई); 17.10.2005 की अधिसूचना सं. एस ओ 1491(ई); और 21.6.2006 की अधिसूचना संख्या एस ओ 933(ई); के तहत संशोधित अधिसूचनाओं के द्वारा पहले गठित की गई समिति यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से भंग हो गई है ।

[फा. सं. 25/34/2004-ए डब्ल्यू डी]

देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : पशुओं पर प्रयोग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति का गठन करने हेतु भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 10-1-2003 की पहली अधिसूचना संख्या का.आ. 32(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और बाद में दिनांक 26-5-2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 599(अ), दिनांक 21-8-2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 955(अ), 15-1-2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 69(अ), 25-1-2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 85(अ), 17-10-2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1491(अ), और 21-6-2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 933(अ) के तहत संशोधित अधिसूचनाओं के द्वारा उसका संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2006

S.O. 1817(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government, on the advice of the Board, and being satisfied that it is necessary for the purpose of controlling and supervising experiments on animals, hereby constitutes a Committee consisting of following persons as its members, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

1.	Additional Secretary, Incharge of Animal Welfare, Government of India, Ministry of Environment and Forests, New Delhi.	Chairperson / Member
2.	Joint Secretary (Animal Welfare), Ministry of Environment and Forests, New Delhi.	Vice-Chairperson/ Member
3.	Dr.(Mrs.) Vasantha Muthuswamy, Senior Deputy Director General & Chief, Division of BMS, Traditional Medicines & Bioethics, Indian Council of Medical Research, Ansari Nagar, New Delhi-110 029.	Member
4.	Dr. P. Balakrishna Murthy, Director, International Institute of Biotechnology and Toxicology (IIBAT), 12, Harleys Road, Kilpauk, Chennai-600 010.	Member
5.	Dr. D. Swarup, Head, Division of Medicine, Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar-243 122, (Uttar Pradesh)	Member
6.	Dr. K. Nachimuthu, Director of Research, Tamilnadu Veterinary and Animal Sciences University, Madhavaram Milk Colony, Chennai- 600 051.	Member
7.	Prof. Anup Kumar Nayak, Wildlife Institute of India, Post Bag #18, Chandrabani, Dehradun - 248 001, Uttaranchal.	Member
8.	Dr. Kodavalla Venkaiah, Head & Asst. Director, Bio-Statistics Deptt., National Institute of Nutrition, Jamai-Osmania (PO), Hyederabad - 500 007.	Member
9.	Dr. V.K. Vinayak , (Retd. Senior Advisor), Department of Biotechnology, B-1, E-12, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi -.110 044.	Member

IndiaCode

10.	Prof. A. Jagannadha Rao (Retd.), Department of Bio-Chemistry and Molecular Reproduction, Development & Genetics, Indian Institute of Science, Bangalore-560 012.	Member
11.	Dr. Shashi Motilal, Professor (Philosophy), University of Delhi, 7, Vaishali Apartments, IIT/Delhi, Hauz Khas, New Delhi-110 016.	Member
12.	Dr. T.P.R. Bharadwaj, Senior Consultant, Haematologist, Apollo Hospitals, 21, Greams Lane, Off. Greams Road, Chennai-600 006.	Member
13.	Director (Animal Welfare), Ministry of Environment & Forests, New Delhi.	Member-Secretary

2. The Central Government hereby nominates Additional Secretary, incharge of Animal Welfare, Ministry of Environment and Forests and Member to be the Chairperson of the Committee as per sub-section (2) of section 15 of the said Act.

3. Joint Secretary (Animal Welfare), Ministry of Environment and Forests and Member will be Vice Chairperson of the Committee.

4. The term of the Committee shall, unless sooner dissolved, be four years from the date of its constitution.

5. The Committee constituted earlier vide Gazette Notification No.S.O.32(E) dated 10th January, 2003 amended subsequently vide Notification Numbers S.O.599(E) dated 26.05.2003; S.O.955(E) dated 21.8.2003; S.O.69(E) dated 15.01.2004; S.O.85(E) dated 25.1.2005; S.O.1491(E) dated 17.10.2005 and S.O. 933(E) dated 21.6.2006 stands dissolved from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 25/34/2004-AWD]

DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.

2396 GI/06-2.

Note: The earlier notification constituting the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* No. S.O. 32(E) dated 10-1-2003 and was subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 599(E) dated 26-5-2003; S.O. 955(E) dated 21-8-2003; S.O. 69(E) dated 15-1-2004; S.O. 85(E) dated 25-1-2005; S.O. 1491(E) dated 17-10-2005 and S.O. 933(E) dated 21-6-2006.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.